भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2110
उत्तर देने की तारीख - 09/12/2024

पीएम श्री योजना का कार्यान्वयन

2110. **श्री हरीश चंद्र मीना:**
श्री नवीन जिंदल:
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री जी. सेल्वम:
डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के अंतर्गत अपग्रेड किए गए स्कूलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ख) देश के ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित पीएम श्री स्कूलों की संख्या कितनी है और पीएम श्री योजना द्वारा समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना, तथा साथ ही, पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। वे एक न्यायसंगत, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करते हैं जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि,

बहुभाषी जरूरतों और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखते हैं और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाते है।

के.वि.सं और न.वि.स सहित कुल 33 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। पारदर्शी चुनौती पद्धति के माध्यम से पीएम श्री स्कूलों के चयन के चौथे चरण तक के.वि.सं/ न.वि.स के साथ 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 12,084 स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें से 1329 स्कूल प्राथमिक, 3340 स्कूल प्रारंभिक, 2907 स्कूल माध्यमिक और 4508 स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक हैं।

योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पहले चरण में चयनित 6,207 पीएम श्री स्कूलों को 1,216.71 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है। इसके अलावा, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) में 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और के.वि.सं/ न.वि.स में चयन के चौथे चरण तक चयनित 12,084 पीएम श्री स्कूलों के लिए कुल 7,107.56 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में कुल 5,097.05 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से अब तक, योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ के.वि.सं/ न.वि.स को वित्त वर्ष 2024-25 में 1,349.12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ख) पीएम श्री योजना के तहत चुने गए कुल 12,084 पीएम श्री स्कूलों में से 8,630 पीएम श्री स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 3,454 पीएम श्री स्कूल शहरी क्षेत्रों में हैं।

पीएम श्री स्कूलों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए, पूरे भारत में स्कूलों की कुल संख्या पर ऊपरी सीमा के साथ प्रति ब्लॉक / यूएलबी अधिकतम दो स्कूल (एक प्रारम्भिक और एक माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक) का चयन किया जाता है।

*****